CFRR के सुचारू क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन

पृष्ठभूमि :

सामुदायिक वन संसाधन का अधिकार (CFRR) वन मे निवासरत समुदाय के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिससे वे अपने वन संसाधनों के सुस्थिर उपयोग के साथ साथ प्रबंधन, सुरक्षा और पुनरुत्पादन कर सके। इस दृष्टिकोण से बस्तर जिला मे CFRR के गुणवत्ता सहित दावों के निर्माण और मान्यता मे तेजी लाने के लिए ATREE अन्वेषण संस्था को आमंत्रित किया गया। इसमे विशेष रूप से स्थानीय युवाओं का सक्षम दल तैयार करना और उनका जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करने पर ध्यान दिया गया।

क्रियाकलाप :

प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन के लिए निमलिखित क्रियाकलाप किए गए:

- बस्तर जिले से 18 युवाओं की FRA समन्वयक के रूप मे नियुक्ति की गई
- उनके लिए दावों के निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला और सतत मार्गदर्शन किया जा रहा है
- बस्तर जिले के अन्य संस्थाओ के कार्यकर्ताओ का भी प्रशिक्षण का आयोजन किया गया
- WebGIS के उपयोग के बारे मे कार्यशाला का आयोजन ताकि नक्शों (वन और राजस्व) की बारीकियों पर समझ बन सके
- वन अधिकार समिति के सदस्य, पटवारी, बीट गार्ड, पंचायत सचिव के लिए 13 ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन।
- उपखंड स्तरीय और जिला स्तरीय समिति के सदस्यों के लिए 2 कार्यशालाओ का आयोजन
- 50 से अधिक गावों मे अलग अलग तरीके से बैठके और सभाओं का आयोजन

FRA समन्वयको के क्षमतावर्धन के लिए कार्यशाला का आयोजन

SDLC एवं DLC के अधिकारियो के लिए प्रशिक्षण का आयोजन जिला कार्यलय बस्तर जगदलपुर

ग्राम सभा नागलसर के साथ CFRR दावा निर्माण सम्बंधित बैठक का

परिणाम :

- जिले मे लगभग 50 गावों मे CFRR दावों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमे लगभग 20 ग्राम सभाओ के दावे तैयार हो कर SDLC मे जमा हो चुके है। इनमे से 4 ग्राम सभाओ को अधिकार पत्रक मिल चुके है।
- पूर्व मे वितरित किए गए अधिकार पत्रको मे त्रुटि पाए जाने पर 35 ग्राम सभाओ ने आपत्ति दर्ज की। इसमे से 10 गाव सुधारित दावा पेश कर चुके है।
- दावा निर्माण मे ग्रामीणों द्वारा WebGIS और आमचो CFR एप्प का उपयोग प्रारंभ।
- जिले की अन्य संस्थाओ के साथ जुड़ कर प्रक्रिया मे तेजी आयी।
- FRA समन्यवकों का उपखंड स्तर समितियों के साथ जुड़ कर बेहतर कार्य योजना के साथ कार्य को आगे बढ़ाया गया।

सीख :

- CFRR दावों की निर्माण की प्रक्रिया एक धीमी गति की प्रक्रिया है। दिशानिर्देशों का पालन करते दावा निर्माण करने मे एक गाव को लगभग 90 दिनों तक का समय लग जाता है।
- जिले मे राजस्व सीमा के अंदर जंगल वाले ग्रामों की संख्या बहुतियात है, जिनके राजस्व नक्शों के आधार पर दावों का निर्माण करना आसान प्रक्रिया हो सकती है। अतः "**मिशन मोड**" के रूप मे ज्यादा से ज्यादा गावों के दावे कम समय मे तैयार होना संभव है।
- सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFRR) और सामुदायिक अधिकार (CR) के बीच अंतर के बारे मे ग्राम सभाओ को जागरूक करना, ताकि सीमा विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो और संसाधनों का परस्पर आदान प्रदान बना रहे।

ग्राम बड़े काकलुर का दावा सुपुर्द करते हुए ग्रामीण

- पूरी प्रक्रिया मे महिलाओ की भागीदारी की कमी है। क्योंकि महिलाओ को कई कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है।

सुझाव :

- प्रत्येक जिलों मे कम से कम 10 से 12 FRA समन्वयकों की नियुक्ति की जरूरत ताकि दावा करने की प्रक्रिया मे (गुणवत्ता सहित) तेजी ला सके और प्रबंधन के कार्य मे 2,3 वर्षों सहयोग करते रहे।
- FRC और जमीनी स्तर के प्रशासनिक अमलो के क्षमतावर्धन की आवश्यकता है। CFRR और CR का अंतर, नक्शों का ज्ञान, दावों का परिशीलन, इत्यादि।
- सभी जिलों मे नक्शों के समझ के लिये वेबजीआईएस का निर्माण की आवश्यकता ताकि दावों की प्रक्रिया मे सहूलियत हो।
- अधिकार पत्रक की नमूना मे बदलाव की आवश्यकता है, जिला सुकमा द्वारा जारी किए पत्रको को नमूना के तौर पर उपयोग मे ला सकते है।